

शुद्धि के लिए 21-1-17 के लिए है।
21-1-17

21-1-17

वक्तुलाय जारी केव बाजिर / परिवारी
गैर बाजिर।

वकील वारीगन के पदपत्र
अवकाश दिने जाने के बावजूद की
परिवारी जल की तकदी रजिस्टर्ड
डाक से नहीं करावानी जा रही है।
तथा दिनांक 13-4-17 के कोर्ट के
पलना लेट्टु समग्र सरका फेअर ही
फिने गाने है। अतः दावा वारीगन
तकदी के अभाव में 0.9.17-5
CPC के तहत खारिज किया जाता
है। पतावली के लाल इमाले का
नजर से काम है।

निर्णय लेट्टु इतना ही हुआ।

न्यायके कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जयपुर (मिना-जयपुर)